

सार-समाचार

एमडी इग सहित आरोपी पकड़ा

धोरीमन्ना, (निर्स)। धोरीमन्ना पुलिस ने 12 ग्राम 7० मिन्ना अवैध मादक पदार्थ एमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मोना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय व महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की दस्तयाबी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशानुसार जसायाम बोस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाडमेर व सुखाराम विश्नोई वृत्ताधिकारी वृत गुडामालानी के सुपरविजन मे बगडराम उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना मय टीम द्वारा वांछित आरोपी रामजीवन उर्फ कालू पुत्र गोमाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला पुर्व पुलिस थाना धोरीमना को स्कॉर्पियो गाडी सहित दस्तयाब कर उसके कब्जा से 12 ग्राम 7० मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद कर मुलजिम रामजीवन उर्फ कालू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।

मिठडा खुर्द एक शाम बाबा रामदेव के नाम

धोरीमना, (निर्स)। ग्राम पंचायत मिठडा खुर्द मुख्यालय पर रामदेवरा पैदल यात्रियों के लिए सेवा कैप भादवा वदी बीज का शुभारंभ किया लोलो की बेरी व मिठडा खुर्द के ग्राम वासियों द्वारा आयोजित सेवा कैप में पैदल यात्रियों के लिए चाय पानी नाश्ता दवाई एवं भोजन की व्यवस्था की गई थी भादवा सुदी गणेश चतुर्थी बुधवार शाम को जागरण का कार्यक्रम हुआ। भजन गायक रमेश पुनड एंड पार्टी व हरीश शर्मा एंड पार्टी द्वारा गजानंद प्रस्तुति द्वारा जागरण का शुभारंभ हुआ बाबा रामदेव की महिमा गुरु महिमा व कइ देवी देवताओं की प्रस्तुतियां रात भर दी गईं श्रुताओं ने भक्ति का आनंद लिया। बाबा रामापीर की सुबह महाआरती व महाप्रसादी वितरण की गई। समापन के अवसर पर पूर्व सरपंच पोकरा राम चौधरी केसराराम साऊ, सरपंच प्रतिनिधि भीयाराम भूकर, मंगलाराम पुनड, खेताराम लुखा, समाजसेवी बुधराम भादू, दोनों पंचायतों के ग्रामीण उपस्थित रहे।

युवक की मौत, हत्या का अंदेशा जताया

सायला, (निर्स)। सायला पुलिस थानाक्षेत्र के वालेरा में एक युवक की मौत के मामले में परिजनो ने हत्या का अंदेशा जताया है। मृतक के चाचा मांगसिंह पुत्र भोपसिंह राजपूत निवासी सिराना ने पुलिस में रिपोर्ट पेशकर बताया कि उसका भतीज भेरूसिंह पुत्र गीलसिंह राजपूत पिछले चार माह से वालेरा गांव में स्थिर मीट की होटल पर काम कर रहा था। गुरुवार सुबह 8 बजे होटल मालिक रामाराम बंजारा ने उसके भाई गिलसिंह को फोन करके बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। जिसकी लाश सायला अस्पताल में है। जिस पर परिजन सायला अस्पताल पहुंचे तब तक भेरूसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। जिसकी लाश मोर्च्युरी में रखी हुई थी। रिपोर्ट में भेरूसिंह की हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वही शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपर्द किया।

विद्यार्थियों को भगवत गीता बांटी

सायला, (निर्स)। एमबीएस ग्रुप इस्कॉन मुंबई द्वारा सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुरुवार को नि:शुल्क भगवत गीता का वितरण किया गया। ग्रुप द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, विवेकानंद विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, टैगोर पब्लिक माध्यमिक विद्यालय तथा सरस्वती बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को भगवद गीता की पुस्तक का वितरण किया गया। एमवीएस ग्रुप के नरपत पुरोहित, दिनेश पुरोहित व हरसन माली ने बताया कि अभी तक जालोर जिले की स्कूलों में 24 हजार भगवत गीता का वितरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय व्यापार संयंत्रकेनट ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को आगामी माह में आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की बात कही। नकुलसिंह व श्रीराम ने वितरण कार्य में सहयोग दिया।

गर्ग सायला ने गर्गाचार्य जयंती मनाई

जैसलमेर, (नि.सं.)। ऋषियों में श्रेष्ठ और महान तप धारी के रूप में जाने गये। 88 हजार ऋषियों में प्रथम वंदनीय महर्षि गर्गाचार्य महाराज की जयंती मनाई गई। प्रा्त जानकारी के अनुसार इस अवसर पर सेवानिवृत व्याख्याता के आर गर्ग व पुलिस विभाग से सेवानिवृत शिवलाल गर्ग, डॉ वासुदेव गर्ग, पूर्व पार्षद राडलदा बागोडा ने गर्गाचार्य की तस्वीर पर मात्स्यारण कर पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर समाज सचिव सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि श्री कृष्ण और हलधर के नाम अधिष्ठाता, यदुवंश के कुलगुरु के रूप में शोभायमान महर्षि गर्गाचार्य महाराज युगों युगों से धर्म ध्वजा की अटिाम पंक्ति में पूजनीय रहे है। इस अवसर पर अस्थापक कैलाश गोयल, जेठा राम, देवेन्द्र गर्ग सुरेश गर्ग नांद, दिनेश गर्ग ,दशरथ गर्ग , एडवोकेट जे पी गर्ग आदि सामिल हुए।

अवैध पदार्थों की बिक्री, 5 सरस बूथ हटाए

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर शहर से 5 सरस के बूथ को नगरपरिषद की टीम ने हटाय़ा। दरअसल, जैसलमेर के सरस बूथ पर खुलेआम अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर कोतवाला प्रेमदान ने नगर परिषद आयुक्त को 5 दुकानों में सरस डेयरी बूथ की आड़ में अवैध मादक पदार्थों के बेचने की बात कहते हुए लाइसेंस निरस्त कर बूथ हटाने के लिए पत्र लिखा। इस पर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त पवन कुमार ने 5 डेयरी बूथों के आवंटन निरस्त करते हुए सभी बूथ मालिकों को केबिन हटाने के निर्देश दिए। टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 सरस के बूथ को हटाय़ा।

25 करोड रुपए ब्रिज निर्माण के लिए

जालोर, (कासं)। मुख्य सचेतक केबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक जोगेश्वर गर्ग के अथक प्रयास से जालोर विधानसभा के सायला-विणगा नगर पालिका में जवाई नदी पर ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जिला प्रवक्ता दिनेश महावर ने बताया कि राज्य सरकार ने जालोर रेतवडा बागोडा पर ब्रिज निर्माण के लिए पच्चीस करोड रुपए लगभग स्वीकृत हुए। इस कार्य के लिए जालोर विधानसभा के सभी आम जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ,उपमुख्यमंत्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ,मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आभार व्यक्त किया।इस ब्रिज से जालोर को रेतवडा वाया सायला से जोडेगा। जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

पैदल संघ जसोलधाम रवाना

सायला. (निर्स)। आर.के. ग्रुप के तत्वावधान में सायला से जसोलधाम पैदल यात्रा संघ गुरुवार को रवाना हुआ। संघ में शामिल श्रद्धालु धार्मिक ध्वज लेकर माजीसा के जयकारों और भजन-कीर्तन के साथ रवाना हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मार्ग में विभिन्न स्थानों पर दर्शन किए और सामूहिक रूप से जसोल धाम की ओर प्रस्थान किया। जगह-जगह ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने यात्रियों का स्वागत कर जल-पान व अल्पाहार की व्यवस्था की। इस दौरान कमलेश महेश्वरी, कालाराम, शॉलिलाल, भरत चौधरी, प्रवीण रावल, हर्ष त्रिवेदी, पदमाराम, मानसिंह, मोनाराम, दरगाराम, नेनाराम, राजूभाई महेश्वरी, हरीश प्रजापत, राणसिंह, राजूभाई राजपुरोहित सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।

साइकिल यात्रा का सायला में स्वागत

सायला, (निर्स)। श्री मातेश्वरी तनोटराय साइकिल यात्रा संघ का सायला पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोही से 7वीं बार तनोटराय जैसलमेर साइकिल यात्रा के लेहर भारती कुटिया सायला पहुंचने पर स्वागत किया गया। सायला, जालारामा संघ में 3.5 श्रद्धालु शामिल है। इस दौरान धनराज गांधी, रेवाकर, जूठाराम, धीराराम, नरपत गांधी, पदम भाटी, थानाराम, किरण, जीतू, भरत गांधी ने माला एवं दुपट्टे पहनाकर यात्रियों का स्वागत कर तनोटराय धाम के लिए रवाना किया।

वॉलीबॉल छात्र/छात्रा वर्ग स्थगित

सायला, (निर्स)। सायला उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 69वीं जिलास्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता को आगामी अंदेशे तक स्थगित किया गया है। कार्यक्रमक प्रधानाचार्य धीराराम चौधरी ने बताया कि 69वी जिलास्तरीय वॉलीबॉल छात्र छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के आदेशानुसार आगामी अंदेशे तक स्थगित किया है। प्रतियोगिता के 3.अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होनी थी। जिसे अतिवृष्टि व जलभराव को देखते हुए निदेशक माध्यमिक राजस्थान के आदेशानुसार स्थगित किया है।

अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस

जोधपुर, (कासं)। चांदपोल स्थित बाबा रामदेव मन्दिर पर किए अतिक्रमण को कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाने के मामले को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने इस मामले को कोर्ट की अवमानना मानते हुए नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति मुनुरी लक्ष्मण तथा न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता ने आदेश जारी कर नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस मामले में न्यायालय ने अन्य अवमानना प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से छूट दी है क्योंकि पिछले आदेश में केवल प्रतिवादी संख्या 5 (नगर निगम) को निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को सूचीबद्ध की गई है।

गौरलतब है कि चांदपोल, बाबा रामदेव मन्दिर की भूमि पर कई दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस भूमि का मालिकाना हक पीपा क्षत्रिय समाज का है तथा देखरेख का जिम्मा बाबा रामदेव मन्दिर ट्रस्ट, मसुरीय के जिम्मे है।

पीपा क्षत्रिय समाज के लोगों ने अतिक्रमण कार्रियों को मानवता के नाते कई बार मौखिक रूप से समझाया कि वे उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करें। जब बार बार समझाने के बाद भी भूमाफिया नहीं माने तो पीपा क्षत्रिय

समाज ने न्यायालय की शरण ली। वरिष्ठ एडवोकेट मोतीसिंह राजपुरोहित ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को रखते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही। एडवोकेट मोतीसिंह राजपुरोहित ने इस मामले को कोर्ट की पिछली सुनवाई में न्यायालय ने माना कि पीपा समाज की पट्टासुद भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

जब आठ माह में भी नगर निगम ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की तो प्रतिवादी के वकील मोती सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय की अवमानना की याचिका दाखिल की। इस पर डबल बैच ने माना कि नगर निगम ने न्यायालय की अवमानना की है। अब नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई अगले महीने की 23 तारीख को सूचिबद्ध की गई है। परिव्रादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की।

बता दें कि 25 अगस्त को बाबा की बीज पर पीपा क्षत्रिय समाज के कुछ बच्चे प्रसाद चढ़ाने मंदिर पर गए थे। तब भूमाफियाओं ने उन पर हमला कर दिया था। उनकी पिटाई कर दी।

बच्चे जैसे तैसे जान बचा कर घर पहुंचे ही थे कि अतिक्रमणकारियों की भीड़ उनके घरों पर पहुंच गई तथा

मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया

जोधपुर, (कासं) । भारत विकास परिषद् शाखा पावटा द्वारा गुरु वंदन – छात्र अभिनंदन कार्यक्रम बीआर बिड़ला उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजेएस एवं बी आर बिड़ला प्राथमिक विद्यालय भदवासिया में आयोजित किया गया।

जिस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय कक्षा एक से 5 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 1० श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को परिषद द्वारा प्रशस्तिपत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। तथपश्चात विद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक –शिक्षिकाओं को श्रीफल प्रदान कर चरण वन्दना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सभागार में उपस्थित लगभग दो सौ छात्र छात्राओं ने कृतलध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वामीविवेकानंद, माँ सरस्वती व भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर सामूहिक वन्दे मातरम् गीत गायन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शाखा अध्यक्ष सम्पत टाक ने भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने गुरुवन्दन एवं छात्र अभिनन्दन कार्यक्रम को महत्व पर प्रकाश डालते कहा कि जो



जोधपूर में भारत विकास परिषद् शाखा पावटा ने गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया।

बच्चे नित्य प्रतिदिन अपने से बड़ों (माता पिता व गुरु) का अधिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करते है, उनकी आयु, स्वस्थ, विद्या, कीर्ति व बल में निश्चय हो वृद्धि होती है।

अतिथियों ने विद्यार्थियों से भारत विकास परिषद के सिद्धांतो को अंगीकार कर माता पिता व गुरु जनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्राचायों ने परिषद पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जोधपुर महानगर सह संयोजक भैरव लाल दर्ईया ने परिषद की ओर से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर परिषद के

■ चांदपोल स्थित बाबा रामदेव मन्दिर पर किए अतिक्रमण को कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाने का मामला

हथियारों से लैस होकर बच्चों के परिजनों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। बाद में पीपा क्षत्रिय समाज के सैकड़ लोग सूरसागर थाने के बाहर पहुंचे तथा आक्रोश भरा प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी । पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को 151 में पाबंद किया है।

लज्जा भंग करने के आरोपी को तीन साल का कारावास

जालोर, (साबीर)। पोक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने गुरुवार को नाबालिंग बालिका से छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने के आरोपी को तीन साल के कारवास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित के अनुसार पंडिता ने 14 फरवरी 2025 को थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह सत्तराह साल की नाबालिंग है और लम्बे

समय से महेन्द्र कुमार उसे परेशान कर रहा है, उसे अकेली देखकर उसके साथ छेड़छाड़ कर जबरस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है।

उक्त बात पीडिता ने अपने माता पिता को बताई। तब पीडिता की माता पिता ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया । लेकिन महेन्द्र कुमार अपनी हरकतो से बाज नहीं आया और पीडिता 12 फरवरी की घाम को अपने खेत से घर आ रही थी तथा साथ में उसकी माता आगे आगे चल रही थी। उस दौरान महेन्द्र अपने दो दोस्तो के साथ मोटरसाईकिल पर आकर उसके आडे फिर कर उसके साथ जबरदस्ती दुश्कर्म करने का प्रयास करने लगा । उसके चिल्लाने पर उसकी माता बचाने आईं, तो उन्होंने उसकी माता व पीडिता के साथ मारपीट कर कपडे फाड दिये। उस दौरान बाईक पर दो लोगो के आने के बाद वहां से तीनो जने भाग गये। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने दोनो पक्षो की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी महेन्द्र कुमार को नाबालिंग के साथ छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने का दोशो मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।

उद्योग विभाग की योजनाओं पर चर्चा हुई

जालोर, (कासं)। जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विवाद एवं निराकरण निवारण तंत्र, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई-नीति-2०24, एकजिला-एक उत्पाद 2०24 व राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 को लेकर बैठक का आयोजन हुआ।

बैठक में रीको औद्योगिक क्षेत्र भीनमाल में मीठे पानी व सड़कों की व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण जालोर में 33 केवी जीएसएस, स्लरी पाउडर का शत-प्रतिशत उपयोग होने के कारण इसे परिवर्णन विभाग द्वारा आर्रेज श्रेणी में लिए जाने, रीको औद्योगिक क्षेत्र जालोर में सडक व रोडलाईट की व्यवस्था, उद्यान व बगीचों के विकास एवं औद्योगिक क्षेत्र भीनमाल में रीको रेलवे फाटक अण्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई।

इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी रमेश कुमार, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मयाराम, रीको के साइट इंजीनियर लोकेन्द्र सिंह, नगरपालिका भीनमाल के अधिशासी अधिकारी तेजराज भण्डारी, कनिष्ठ अभियंता जसपाल सिंह, जेएसओ कृष्ण मोना व आरओ श्रवणराम उपस्थित रहे।

पदमसर जलाशय में डूबने से दो बच्चियों की मौत

जोधपुर, (कासं) । जोधपुर के प्राचीन जलाशय पदमसर में बुधवार शाम दो मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। ये दोनों बच्चियां चांदपोल बड़ी भील बस्ती की रहने वाली थीं और ऋषि पंचमी के दिन श्रीमाली समाज की महिलाओं द्वारा तर्पण के दौरान डाले गए सिक्के निकालने लीं थीं।

पुलिस को सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शवों को बाहर निकाला। खांडा फलसा थानाधिकारी बलवंतराम ने बताया कि 28 अगस्त को सुबह से दोपहर तक पदमसर में श्रीमाली समाज की महिलाओं की भीड़ लगी रही। इस पर्व पर तर्पण करते समय महिलाओं द्वारा जलाशय में सिक्के भी डाले जाते हैं। दोपहर बाद जब महिलाएँ चली गईं तो निकट स्थित चांदपोल बड़ी भील बस्ती की दो बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी से सिक्के

निकालने के लिए सीढ़ियों पर उतरीं और डूब गईं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चांदपोल बड़ी भील बस्ती की रहने वाली सीमा और सोनू पानी से सिक्के निकालने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं। बच्चियां तैरना नहीं जानती थीं और इस वजह से बाहर नहीं निकल पाईं।

खांडा फलसा पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को इस हादसे की सूचना करीब 5 बजे के आसपास मिली।

सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस के गोताखोर मौके पर पहुंचे। टीम ने करीब 15-2० मिनट की मशकत के बाद दोनों बच्चियों के शव जलाशय से बाहर निकाल लिए। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव एम्बुलेंस में मंचरीरी ले रखाए हैं। खांडा फलसा पुलिस परिजनों से प्रारंभिक जानकारी लेकर मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

मां-बेटी के जलने से मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं) । शहर के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव में महिला व्याख्याता और उसकी बेटी (3) संदिग्ध हालात में मौत के प्रकरण में पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। इस बारे में डांगियावास थाने में गत सप्ताह प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसमें पीहर पक्ष में पति, सास-ससुर और ननद पर दहेज प्रताड़ना के साथ मृतका के चरित्र पर संदेह को लेकर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था।

एसीपी मंडोर नॉर्ग कुमार ने आरंभिक जांच पड़ताल में आरोपी पति सरनाडा की ढाणी कांकिलाव निवासी दिलीप विश्रोई को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि मृतका संजु के पिता कांकिलाव निवासी ओमाराम ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उसकी पुत्री संजु की शादी दिलीप विश्नोई से 12 साल पहले हुई थी। संजु फिटकासनी में राजकीय सी.सै.स्कूल में भूगोल विषय की व्याख्याता के पद पर कार्यरत थी। जिसका ससुराल सरनाडा में है। पति,

सास-ससुर और उसकी ननद लीला है।

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और चरित्र पर संदेह के आरोप भी लगाते थे। घरेलू विवादों के चलते मृतका संजु (32) अपनी बेटी यशस्वी (०3) के साथ पीहर चली गईं थी। जो 6 महीने पहले ही वापस ससुराल आई थी। इसके बाद भी संजु को प्रताड़ित करना जारी रखा। इसके बाद उनकी बेटी व दोहिती की संदेहजनक परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मैडिकल बोर्ड से मां-बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए।

मां-बेटी के झुलसने की सूचना

मिलते ही पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा था।

जहां पर बेटी यशस्वी की मौत हो गई थी। मां को तुरंत गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया। गत हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते बयान नहीं हो पाए थे।

सुबह महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में ही मृतका संजु के पिता ने रिपोर्ट दे दी थी।

आरएसी महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में आरोपी पति बरी

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसी प्रथम बटालियन की महिला कांस्टेबल गीतादेवी सुसाइड मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति हरिभजन राम को बरी कर दिया है। जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आत्महत्या के लिए उकसाना साबित करने में पूरी तरह अफसल रही है।

मामला सात सितंबर 2018 की रात का है। मंडोर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर के अनुसार मंडोर स्थित आरएसी प्रथम बटालियन में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत गीतादेवी ने अपने बयान में कहा था कि उसका पति हरिभजन राम उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और लगभग दस साल से उसे छोड़ चुका था। पांच सितंबर को जब वह कोर्ट गई थी, तो उसके पति ने उसका अपमान किया और गालियां दीं।

इसी मानसिक तनाव के कारण उसने सात सितंबर को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। घटना के 14 दिन बाद 20 सितंबर 2०18 को गीतादेवी की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतका के भाई दिनेश, पिता मोहन राम, मां मोहनी देवी और बेटे जयप्राकाश के बयानों में भी

यही कहा गया था कि 5 सितंबर को

कोर्ट में हरिभजन राम के वकील ने गीतादेवी से असहज सवाल पूछे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। सभी ने यह स्वीकार किया था कि हरिभजन राम और गीता देवी

2०06-2०07 से अलग रह रहे थे।

जस्टिस संदीप शाह ने अपने फैसले में धारा 3०6 और 1०7

आईपीसी के प्रावधानों का विस्तृत

विश्लेषण करते हुए कहा कि आत्महत्या

के लिए दुष्टेरणा सिद्ध करने के लिए

यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी ने

मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया

हो या जानबूझकर ऐसा कोई कार्य किया

हो जिससे आत्महत्या को बढ़ावा मिला

हो। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महेंद्र आवासे

बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अय्यूब बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और मंगल सिंह बनाम

राजस्थान राज्य के फैसलों का हवाला

देते हुए स्पष्ट किया कि गुरसे में कहे गए

शब्द या सामान्य इंगूडे के दौरान बोले

गए वाक्य आत्महत्या के लिए दुष्टेरणा

नहीं माने जा सकते।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह निष्कर्ष

निकाला कि खराब इन्वेस्टिगेशन के

साथ ट्रायल चलाना न्याय प्रक्रिया का

दुरुपयोग होगा और आरोपी के साथ

गंभीर अन्याय होगा।

इसमें मुख्य गुण से सात खामियों

का उल्लेख किया गया है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN : L55910KL1902PL000623
Registered Office : W-4/638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर निजीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सेने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिमेंशनल प्रारकों के सेने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बवजूद अपने लोन की खम नहीं चुकाई है. जिन आइटमों की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों में पीछेवर्ती में कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।

निरवियों की सूची :

बाइनेर, बालोतल राजस्थान, 135580730019802, 9815, बाइनेर, 138040700003949, 138040730030852, 3721, पालिका बाजार नया बस स्टैंड बालोतरा, 138060730006187, 6236, जोधपुर, आकलीया स्कंस्ती जोधपुर, 1141107000447738, 114110730034495, 4496, मां मंदिर स्कंस्ती, 123010730045656, पल्लोटी शाखा राजस्थान, 135610700016685, 7919, 135610730014195, 4237, 4262, 4277, सरस्वती नगर जोधपुर, 1243207300307566, 1243207300304474, 4491, 4524, 4530, 4568, 4642, 4698, 4703, 4828, 4844, पाली, मानखिया रोड, 115370730026056, 6189, सुकजाल पाली, 115410700028551, 8556, 8585, 8606, 115410730022758, 5169, 5225, 5261, सिरसोली, सिरसोली राजस्थान, 119970730038949,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलोतलकर्ता को ईच्छुक के रूप में रु.10,00,00,00/- नीलामी के दिन नकद जमा करना होगा (असलत बोलोतलकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलोतलकर्ता को ध्यान देना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9911890139 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मानपुत्रम फायनेस लि. हेतु.